Title: Regarding immediate implementation of the act for protecting the interests of the labourers concerned with building construction and repairing work.

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what Shri Hanan Mollah says.

MR. SPEAKER: Shri Vijay Goel, please take your seat.

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको विदित है, इस सदन ने सर्वसम्मति से चार वर्ा पूर्व निर्माण मजदूरों के विकास और उनके पुनर्वास के लिए एक कानून पारित किया था।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except Shri Hannan Mollah.

(Interruptions) *

श्री हन्नान मोल्लाह: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लाखों निर्माण मजदूर हैं, लेकिन उनके प्रोटैक्शन के लिए देश में कोई कानून नहीं था। उनके लिए कानून बनाने के लिए हम बहुत समय तक संघर्ा करते रहे। सदन में प्राइवेट मैम्बर बिल भी दिया था। आखिरकार पूरे सदन की सहमति से लगभग चार वर्ा पूर्व कानून पारित कर दिया गया, लेकिन उसके आधार पर नियम बनाया वह भी निर्माण मजदूरों की कोई विशेा मदद नहीं करता, परन्तु चार वर्ा पूर्व पारित हुए कानून के ऊपर नियम बनाने के बाद उस नियम को लागू नहीं किया गया है और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में लाखों मजदूर निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। उनके कल्याण के लिए उस नियम को लागू करना लाजमी है। उसे अभी तक लागू न करने के विरोध में रोा प्रकट करने और प्रदर्शन करने के लिए पूरे देश के मजदूर दिल्ली में दिनांक 08-05-2000 को आ रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो कानून बनाया है उसको ठंडे बस्ते में न डाला जाए। उसे तत्काल लागू किया जाए

अध्यक्ष महोदय, यह क्या सरकार है कि इस देश में पहले तो निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कानून ही नहीं था, जब कानून बना, तो नियम बनाने में काफी समय लगा दिया, अब नियम बना है, तो उसे लागू नहीं किया जा रहा है? यह सदन और यह सरकार गरीबों, खेतिहर मजदूरों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए बनाए गए कानून को लागू करने में इतना विलम्ब क्यों कर रही है? मेरी मांग है कि उस कानून को शीघ्रातिशीघ्र पूरे देश में लागू किया जाए।